मुकदमा दायर करने का निर्णय

इस लीफलेट में बताया गया है कि मुकदमा दायर करने के निर्णय किस तरह लिये जाते हैं।

क्राउन प्रोसीक्युशन सर्विस (CPS) इंग्लैंड और वेल्स में मुकदमा दायर करने की सर्वोच्च ऑथरिटी (प्राधिकरण) है। इसका मुखिया, निदेशक लोक अभियोजन (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसीक्युशंस)(DPP) होता है और इसमें एक राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय तथा 42 क्षेत्र आते हैं; हर स्थानीय पुलिस फोर्स क्षेत्र के लिए एक। हर CPS क्षेत्र का मुखिया एक चीफ क्राउन प्रोसीक्युटर होता है जो उस क्षेत्र के अन्दर अभियोजनों (मुकदमे चलाने) के लिए जिम्मेदार होता है।

विषय

पृष्ठभूमि	1
क्राउन प्रोसीक्युटर्स के लिए कोड	1
समीक्षा	2
अपराध के शिकार	
प्रारम्भिक परीक्षा	4
आरोपों का चयन	4
अपराध स्वीकार करना	4
पीड़ित व्यक्ति के लिए सपोर्टलाइन	5
शिकायतें	5

मुकदमे दायर करना

पृष्ठभूमि

1986 में CPS का गठन किये जाने से पहले, यह तय करना पुलिस का काम होता था कि मामलों को कोर्ट में ले जाया जाये अथवा नहीं।

आज, यह निर्णय CPS लेती है कि लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाये या नहीं। फिर भी, पुलिस अभी भी कथित अपराध की जाँच-पड़ताल करती है।

अधिकांश मामलों में, क्राउन प्रोसीक्युटर्स (अभियोजक) तय करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति पर अपराधिक आरोप लगाया जाये, और वे समुचित आरोप या आरोपों का निर्धारण करेंगे। उन मामलों में जहाँ पर पुलिस आरोप निर्धारित करती है, जोकि आमतौर पर छोटे और साधारण मसले होते हैं, ये ही सिद्धान्त वे भी लागू करते हैं।

हम यह तय करेंगे कि विवाद विशेष के तथ्यों पर क्राउन प्रोसीक्युटर्स के कोड लागू करके मुकदमा चलाया जाये अथवा नहीं।

क्राउन प्रोसीक्युटर्स के लिए कोड

क्राउन प्रोसीक्युटर्स के लिए कोड (कोड) एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो उन मूल सिद्धान्तों की घोषणा करता है जिनका क्राउन प्रोसीक्युटर्स को मामलों पर निर्णय लेते समय पालन करना चाहिये। आप इसकी प्रति अपने स्थानीय CPS कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि हर मसला अनूठा होता है और उस पर उसके तथ्यों तथा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिये, लेकिन कुछ सामान्य सिद्धान्त हैं जिनका हर मामले पर विचार करते समय क्राउन प्रोसीक्युटर्स को पालन करना चाहिये। वे ईमानदारीपूर्ण, स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने चाहियें। उन्हें अपने निर्णयों को किसी संदिग्ध व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के या गवाह की नस्ल या उसके राष्ट्रीयमूल, विकलांगता, धार्मिक धारणाओं, राजनीतिक विचारों, यौन आचरणों या उनके पुरुष अथवा महिला होने के बारे में अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिये। यह सुनिश्चित करना उनका कर्त्तव्य है कि सही अपराध के लिए सही व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाये। ऐसा करते हुए, क्राउन प्रोसीक्युटर्स को हमेशा न्याय के हित में कार्य करना चाहिये, न कि किसी को केवल अपराधी सिद्ध करने के उद्देश्य के लिए।

समीक्षा

क्राउन प्रोसीक्युशन सर्विस द्वारा पुलिस से मिलने वाले हर मामले की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाती है कि इसमें मुकदमा चलाया जाना उचित है।

अधिकांश मामलों में, क्राउन प्रोसीक्युटर्स यह तय करने के लिए वस्तुत: जिम्मेदार होते हैं कि क्या किसी व्यक्ति पर अपराधिक आरोप लगाया जाये, और यदि ऐसा है तो वह आरोप क्या होना चाहिए।

जब यह निर्णय लिया जाता है कि क्या किसी मामले में कोर्ट में मुकदमा चलाया जाये, तो क्राउन प्रोसीक्युटर्स समुचित परिस्थितियों में मुकदमा चलाने के विकल्पों पर भी विचार करते हैं। इसमें वयस्क व्यक्तियों के लिए, या नौजवानों के लिए सचेत करने वाली नसीहत, डाँट-फटकार या चेतावनी शामिल है।

जब हमें पुलिस से कोई फाइल मिलती है, तो क्राउन प्रोसीक्युटर कागज़ात को पढ़ेगा और यह तय करेगा कि क्या प्रतिवादी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और क्या उस व्यक्ति को अदालत में लाना जनहित में है। चूँकि हालात बदल सकते हैं, इसलिए क्राउन प्रोसीक्युटर को मामले की लगातार समीक्षा करते रहना चाहिए। अगर क्राउन प्रोसीक्युटर आरोपों को बदलने की या मामले को रोकने की बात सोच रहा है तो वे जहां पर सम्भव हो सकेगा पुलिस से सम्पर्क करेंगे। इससे पुलिस को और अधिक जानकारी प्रदान करने का मौका मिलता है जो निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि पुलिस और CPS साथ में मिलकर काम करते हैं, परन्तु हम एक दूसरे से पूरी तरह स्वतन्त्र हैं और इस निर्णय के बारे में अन्तिम जिम्मेदारी CPS की होती है कि आरोपित अपराध पर आगे कार्य वाही की जाये या नहीं।

क्राउन प्रोसीक्युटर्स को अपने निर्णय लेते समय स्वयं से निम्नलिखित दो प्रश्न पूछने होते हैं।

क्या प्रतिवादी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं?

प्रतिवादी के खिलाफ 'अपराध सिद्ध करने की असलियत में सम्भावना' जान पाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। अपराध-सिद्धि की असलियत में सम्भावना एक निष्पक्ष परीक्षण है। इसका मतलब है कि कानून के अनुसार समुचित रूप से निर्देशित जूरी या न्यायिक अधिकारियों (मैजिस्ट्रेटस) की बेंच को कथित आरोप के प्रतिवादी का अपराध सिद्ध करने की अधिक सम्भावना है। यह परीक्षण क्रिमिनल कोर्ट द्वारा लागू किये जाने वाले परीक्षण से अलग होता है। किसी जूरी या मैजिस्ट्रेट की अदालत को

मुकदमे दायर करना

किसी प्रतिवादी को केवल तभी दोषी ठहराना चाहिए जब वे इस बारे में निश्चित हो कि वह अपराधी है।
यह तय करते हुए कि क्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, क्राउन प्रोसीक्युटर्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सबूत को अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है और वह विश्वसनीय है। इसका मतलब है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले उन्हें सभी गवाहियों से सबूत की गुणवत्ता का आकलन करना चाहिए। किसी मामले को छोड़ देने के निर्णय का मतलब यह नहीं है कि प्रोसीक्युटर ने एक गवाह पर यकीन करने का निर्णय ले लिया है और दूसरे पर यकीन करने का नहीं।

अगर अपराध सिद्ध होने की असलियत में सम्भावना नहीं है तो मामला आगे नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण या गम्भीर क्यों न हो।

यदि अपराध सिद्ध होने की असलियत में सम्भावना है, तो क्राउन प्रोसीक्युटर अगला प्रश्न पूछेगा।

क्या CPS के लिए मामले को अदालत में ले जाना जनहित में है?

इस देश में ऐसा नियम कभी नहीं रहा कि हर अपराधिक बात पर स्वत: मुकदमा चलाया जाये। इस कारण से, हर मामले में, निर्णय लेने से पहले क्राउन प्रोसीक्युटर को मुकदमा चलाने के बारे में जनहित तथा मुकदमे के पक्ष और विपक्ष के सन्तुलन कारकों (बैलेंस फैक्टर्स) पर ध्यानपूर्वक और निष्पक्षता से विचार करना चाहिए।

कोई मुकदमा सामान्य रूप से तभी चलाया जायेगा जब जनहित सम्बन्धी कारक मुकदमा चलाये जाने के पक्ष के कारकों कि तुलना में अधिक वज़नी न हों।

जनहित सम्बन्धी वे कारक जो मुकदमा चलाये जाने के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, हर मामले में भिन्न होंगे। सामान्य रूप से कहा जाये तो कथित अपराध जितना अधिक गम्भीर होगा, उतनी ही अधिक इस बात की सम्भावना होगी कि जनहित में मुकदमा चलाया जाना ज़रूरी है। दूसरी ओर उस स्थिति में मुकदमा चलाये जाने की ज़रूरत कम होगी यदि, उदाहरण के लिए, अदालत में न्यूनतम या प्रतीकात्मक दंड दिये जाने की सम्भावना है या उस अपराध के कारण हुआ नुकसान मामूली है और यह उस व्यक्ति द्वारा हुए अपराध की एक मात्र घटना के कारण है।

पीड़ित व्यक्ति और जनहित के बीच रिश्ता

मुकदमे दायर करना

CPS जन सामान्य की ओर से मामलों पर मुकदमा चलाती है, न कि केवल किसी विशेष व्यक्ति के हितों में। इस कारण से, हालांकि पीड़ित के हित महत्वपूर्ण हैं, परन्तु यह निर्णय लेते हुए कि मुकदमा चलाया जाये या नहीं उन्हें ही अन्तिम रूप से ध्यान में नहीं रखा जा सकता।

फिर भी, जनहित पर विचार करते हुए, क्राउन प्रोसीक्युटर्स को इस बारे में निर्णय लेते समय कि मुकदमा चलाया जाये या नहीं, पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके नतीजों पर और पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

प्रारम्भिक परीक्षण (थ्रेशोल्ड टेस्ट)

कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन में व्यक्ति को आरोप के बाद जमानत पर छोड़ना उचित नहीं होगा, परन्तु 'अपराध-सिद्धि की असलियत में सम्भावना' स्थापित करने के लिए सबूत अभी उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आरोपित करने से पहले उपलब्ध सीमित समय में हो सकता है कि मेडिकल या अन्य किसी विशेषज्ञ का सबूत प्राप्त न किया जा सका हो। फिर भी, कम से कम इस बाबत तर्कसंगत सन्देह का पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है और उस पर आरोप लगाना जनहित में होना चाहिए। यह प्रारम्भिक परीक्षण (थ्रेशोल्ड टेस्ट) कहा जाता है, और यह इन मामलों पर शुरुआती स्तरों में सीमित अवधि के लिए लागू किया जाता है। इसके बाद फिर यथाशीघ्र फुल कोड परीक्षण लागू किया जायेगा।

आरोपों का चयन

क्राउन प्रोसीक्युटर्स को मामले की समीक्षा करते हुए हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि क्या प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सही हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि आरोप अपराध की गम्भीरता को दर्शायें और अदालत को दंड देने के पर्याप्त अधिकार प्रदान करें। यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि आरोपों का चुनाव और उनकी संख्या अदालत को मामला स्पष्ट और सरल ढंग में समझा पाने में समर्थ हो सके।

इसका मतलब है कि क्राउन प्रोसीक्युटर समय-समय पर प्रतिवादी के खिलाफ़ आरोप बदल सकता है यदि आरोप का प्रकार ऐसा है जो अपराध के हालात को बेहतर तरीके से बता सकता है।

अपराध स्वीकार करना

कभी-कभी प्रतिवादी सभी आरोपों के लिए नहीं, परन्तु उनमें से कुछ के लिए, या उनसे भिन्न सम्भवत: कम गम्भीर अपराध के लिए अपराध स्वीकार करना चाह सकता है। क्राउन प्रोसीक्युटर्स को इससे तभी

सहमत होना चाहिए यदि उनके विचार में अदालत अपराध की गम्भीरता से मेल खाता हुआ दंड दे पाने में समर्थ है।

क्राउन प्रोसीक्युटर्स न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट्स (न्यायिक अधिकारियों) को कोई विशेष प्रकार का दंड देने के लिए नहीं कह सकते।

पीड़ित व्यक्ति के लिए सपोर्टलाइन (विक्टिम सपोर्टलाइन)

यदि आपको और अधिक सहायता या सहारा चाहिए तो आप विक्टिम सपोर्टलाइन को 0845 30 30 900 पर टेलीफोन कर सकते हैं।

यह सेवा एक स्वतन्त्र धर्मादा संस्था विक्टिम सपोर्ट द्वारा चलायी जाती है जिसके प्रशिक्षित स्टाफ और स्वयंसेवक अपराध से प्रभावित लोगों के लिए भावात्मक सहारा, जानकारी और व्यावहारिक मदद प्रदान करते हैं।

विक्टिम सपोर्टलाइन एक स्थानीय नम्बर है, और किसी भी उस व्यक्ति के लिए सम्पर्क का एक आवश्यक केन्द्र है जो अपराध के प्रभावों से पीड़ित हुआ है, चाहे अपराध रिपोर्ट किया गया है अथवा नहीं।

विक्टिम सपोर्टलाइन के ज़रिये उपलब्ध मुफ़्त और गोपनीय सेवाओं के बारे में स्टाफ समझा सकता है और यदि ज़रूरी हो तो उनकी स्थानीय विक्टिम सपोर्ट स्कीम (पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता योजना) या विटनेस सर्विस (गवाह सम्बन्धी सेवा) अथवा अन्य संस्था से सम्पर्क स्थापित करा सकता है।

शिकायतें

हमारा उद्देश्य शिकायतों पर संवेदनात्मक ढंग से, निष्पक्षतापूर्वक और भरोसे के साथ कार्यवाही करना है। यदि आपकी शिकायत न्यायोचित है तो हम क्षमा याचना करेंगे, मामले को ठीक करने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेंगे कि ऐसा दोबारा न हो।

हम आपका पत्र मिलने के तीन कार्य दिवसों के अन्दर आपकी शिकायत का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यदि उस समय के अन्दर हम आपको पूरा उत्तर नहीं भेज सकते, तो हम आपको सूचित करेंगे कि हमें आपका पत्र मिल गया है और हम दस कार्य दिवसों के अन्दर आपको पूरा उत्तर भेज देंगे।

मुकदमे दायर करना

1 यदि आप किसी मामले पर कार्यवाही किए जाने के ढंग के बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको CPS के उस कार्यालय को लिखना चाहिए जिसने मूल रूप से उस मामले पर कार्यवाही की थी।

इसमें यथा सम्भव अधिक से अधिक जानकारी का समावेश करें जैसे कि

- प्रतिवादी का नाम;
- मामले के प्रभारी प्रोसीक्युटर का नाम;
- मामले में किस अदालत ने कार्यवाही की थी;
- सुनवाई की तारीख; और
- कोई सन्दर्भ नम्बर, यदि हों

2 यदि आप स्थानीय कार्यालय से प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको उस क्षेत्र के मुख्य क्राउन प्रोसीक्युटर से सम्पर्क करना चाहिए। वह आपकी शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करेगा और आपको वापस इस बारे में लिखेगा।

3 यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको सार्वजनिक पूछताछ केन्द्र के माध्यम से CPS ग्राहक सेवा इकाई से सम्पर्क करना चाहिए। आपको इस लीफलैट के पीछे सम्पर्क विवरण मिल सकते हैं।

4 जिन शिकायतों को स्थानीय स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता, उन्हें ग्राहक सेवा इकाई के माध्यम से निदेशक जन अभियोजन (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसीक्युशंस) या CPS के मुख्य कार्यपालक (चीफ एक्ज़ीक्यूटिव) को भेज दिया जाता है जो इस बारे में व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे कि आपकी शिकायत पर किस तरह कार्यवाही की जाये, तथा आपको उत्तर देंगे या उत्तर भेजे जाने की व्यवस्था करेंगे।

आपका स्थानीय नागरिक सलाह ब्यूरो (सिटिजंस ऐडवाइस ब्यूरो) शिकायत करने के अन्य तरीकों के बारे में और अधिक सलाह दे सकता है, अथवा आप अपने स्थानीय MP को लिख सकते हैं।

अपराध सम्बन्धी न्याय व्यवस्था बहुत सी संस्थाओं से मिल कर बनी है। उनमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं, जिनके सम्पर्क विवरण साथ में दिये गये हैं। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है।

दि होम ऑफिस
पब्लिक इन्क्वायरी सर्विस

मुकदमे दायर करना

टेलीफोन : 020 7273 2251.
वेबसाइट : http://www.homeoffice.gov.uk

दि डिपार्टमेन्ट फॉर कॉन्सटिट्यूशनल अफेयर्स
टेलीफोन : 020 7210 8500.
वेबसाइट: http://www.open.gov.uk/lcd/index.htm

कोर्ट सर्विस
टेलीफोन : 020 7210 2269.
वेबसाइट : http://www.courtservice.gov.uk

दि ऐसोसिएशन ऑफ चीफ पुलिस ऑफीसर्स (ACPO)
टेलीफोन : 020 7227 3434.
ई-मेल : acpo@acpo.police.uk

नेशनल ऑफिस ऑफ विक्टिम सपोर्ट
टेलीफोन : 020 7735 9166.

यूथ जस्टिस वेबसाइट
http://www.youth-justice-board.gov.uk

नेशनल ऐसोसिएशन फॉर दि केअर एण्ड रिसैटलमेंट ऑफ ओफेन्डर्स:
टेलीफोन : 020 7582 6500.

CPS पब्लिक इन्क्वायरी पॉइन्ट (सार्वजनिक पूछताछ स्थल), CPS के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कर सकता है और इस बारे में सलाह दे सकता है कि किससे सम्पर्क किया जाये। यह इकाई कानूनी सलाह नहीं दे सकती परन्तु आपको व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने में समर्थ हो सकती है।

CPS पब्लिक इन्क्वायरी पॉइन्ट
टेलीफोन : 020 7796 8500.
हम फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं
पूछताछ और टिप्पणियों के लिए ई-मेल पता :
enquiries@cps.gsi.gov.uk
शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :
complaints@cps.gsi.gov.uk

मुकदमे दायर करना

हमारी 'कम्युनिकेशंस' शाखा के पास से CPS के बारे में बहुत सारे प्रकाशन मुफ्त में प्राप्त हैं। कृपया अपने स्थानीय CPS क्षेत्रीय कार्यालय (एरिया ऑफिस) से सम्पर्क करें या निम्न पते पर सम्पर्क करें:

CPS Communications Branch
50 Ludgate Hill, London. EC4M 7EX.
टेलीफोन : 020 7796 8442.
वेबसाइट : http//www.cps.gov.uk

आपको यह लीफलेट ब्रेल में,
दूसरी भाषाओं में, या ऑडियोटेप पर मिल सकता है।
विवरण के लिए अपने स्थानीय CPS कार्यालय से सम्पर्क करें।